न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 174 / 2020 (2020 / 00676) दायर दिनांक 14.12.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. अमरावसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
2. किशनसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत
3. छाबुकंवर पत्नि रामसिंह राजपूत
4. भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत
5. भंवरसिंह पुत्र रामसिह राजपूत
6. मानसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत
7. शोभागसिंह पिता चमनसिंह राजपूत
8. सुमेरसिंह पिता चमनसिंह राजपूत

सर्व निवासी मोहब्बतपुरा (अड़सीपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशकंवर पुत्री नरवरसिंह राजपूत
2. केसरकंवर पुत्री नरवरसिंह राजपूत
3. गजराजकंवर पुत्री नरवरसिंह राजपूत
4. ज्योतिकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता भीमकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह राजपूत
5. देवेन्द्रसिंह पिता संग्रामसिंह राजपूत
6. भंवरकंवर पुत्री नरवरसिंह राजपूत
7. भीमकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह राजपूत
8. मगनसिह पुत्र नरवरसिंह राजपूत
9. योगेन्द्रसिंह पुत्र संग्रामसिंह राजपूत
10. राजेन्द्रसिंह पुत्र नरवरसिंह राजपूत
11. रोहितसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता भीमकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह राजपूत
12. सीमाकंवर पुत्री संग्रामसिंह राजपूत
13. चावण्डमाता जरिये पुजारी संरक्षक मानसिंह पिता नरवरसिंह राजपूत

    सर्व निवासी मोहब्बतपुरा (अड़सीपुरा) तहसील [illegible] जिला भीलवाड़ा।
14. देवस्थान विभाग जरिये अति[illegible]
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. [illegible]पुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

——[illegible]पक्षीगण

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible]पुर जिला भीलवाडा (राज.)

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री राजमल तिवारी
अधिवक्ता विपक्षी सं0 1 से 12 : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
: पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–02.03.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2370 रकबा 1.39 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 79 पर स्थित है। जिसके लिये वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस पेश है।

यह है कि प्रार्थीगण के उक्तानुसार वर्णित कृषि आराजियात में आवागमन करने के लिए विपक्षी संख्या एक लगातय 12 की खातेदारी की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.27 हे0, 2377 रकबा 0.01 हे0, 2378 रकबा 0.10 हे0 व विपक्षी संख्या 13 की आराजी संख्या 2375 रकबा 0.25 हे0 भूमि स्थित है। जो जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 411 पर अंकित है। जिसके लिये जमाबंदी व नक्शाट्रेस पेश है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2370 में ग्राम मोहब्बतपुरा की आबादी से विपक्षीगण की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.27 हे0, 2377 रकबा 0.01 हे0, 2378 रकबा 0.10 हे0 व विपक्षी संख्या 13 की आराजी संख्या 2375 रकबा 0.25 हे0 भूमि में से होकर अपनी आराजी संख्या 2370 में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन करने का एकमात्र सुगम रास्ता विपक्षीगण की उक्त आराजियात में है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, व सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता है तथा प्रार्थीगण विगत 100 वर्षो से इसी रास्ते से होकर संज, बेल, ट्रेक्टर ईत्यादि से आवागमन करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2370 में ग्राम मोहब्बतपुरा की आबादी से विपक्षीगण की आराजी संख्या 2371 रकबा 0.27 हे0, 2377 रकबा 0.01 हे0, 2378 रकबा 0.10 हे0 व विपक्षी संख्या 13 की आराजी संख्या 2375 रकबा 0.25 हे0 की पूर्वी मेड से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2370 में आवागमन हेतु 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर इस रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अड़सीपुरा की आराजी संख्या 2371, 2377, 2378, 2375 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जा करके बिलानाम रास्ता दर्ज कराया जावे।

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 14.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 12 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 13 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर जवाब का अवलोकन फरमाने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 21 / 34 दिनांक 07.01.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि ग्राम अड़सीपुरा प0ह0 चीड़खेड़ा के आराजी संख्या 2372, 2375 व 2378 में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

– यह कि मौके पर उक्त आराजियात से निकलने पर विपक्षीगण आपत्ति करते है।

–यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

–यह कि वर्तमान में उक्त विवादित रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है।

– यह कि उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 2372 रकबा 0.66 हे0 में से 0.03 हे0 भूमि, आराजी नं0 2375 रकबा 0.25 हे0 में से 0.03 हे0, आराजी संख्या 2378 रकबा 0.10 हे0 में से 0.03 हे0 कुल 0.09 हे0 भूमि प्रभावित होती है, ग्राम अड़सीपुरा की सिंचित पारा की डी0एल0सी0 दर 348774 / – रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.09 हे0 भूमि की [illegible] 31390 / – रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 62780 / – रूपये होती है।

– यह कि प्रस्तावति रास्ते को [illegible] नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

– यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रा[illegible] नहीं है।

3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

वर वक्त सुनवाई उभयपक्ष अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस सहमती जाहिर की कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से आवागमन में विपक्षीगण को नहीं रोकेंगे लेकिन बिलानाम घोषित नहीं कराया जावें। जिसका फर्दअहकाम पर भी विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अंकन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस सहमती जाहिर की कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से आवागमन में विपक्षीगण को नहीं रोकेंगे लेकिन बिलानाम घोषित नहीं कराया जावें। जिसका फर्दअहकाम पर भी विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अंकन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का विपक्षीगण अधिवक्ता की सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का विपक्षीगण अधिवक्ता सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 13 को पाबंद किया जाता हैं कि वह अपनी ग्राम अड़सीपुरा आराजी संख्या 2371 रकबा 0.27 हे0, 2377 रकबा 0.01 हे0, 2378 रकबा 0.10 हे0 व विपक्षी संख्या 13 की आराजी संख्या 2375 रकबा 0.25 हे0 भूमि में से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2370 में आवागमन करने से नहीं रोके। तथा तहसीलदार सहाड़ा को पाबंद किया जाता है कि मौके पर रास्ता खुलासा कर उक्त आदेषानुसार विपक्षीगण को पाबंद कराना सुनिश्चित् करें।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 मेरे द्वारा खुले में जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा 5.